न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–267/2010

1. भँवर लाल पुत्र स्व0 गंगा सहाय जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0

2. रमेश पुत्र स्व0 गंगा सहाय मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0

3. मनफूली पत्नि स्व0 श्री गंगा सहाय निवासी–मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0

–अपीलार्थीगण–

बनाम

1. राजबिहारी शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा जाति ब्राहमण निवासी–मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर

2.कुंज बिहारी शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा निवासी–मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर। –कन्टरेस्टेड रेस्पोडेंट/प्राथीगण

3–रामनारायण पुत्र हरिनारायण उर्फ हीरा लाल जाति ब्राहमण निवासी–ग्राम मानुपरा टीलावाला तहसील सांगानेर हाल निवासी–बी–1, कीर्ति नगर, वसुन्धरा कॉलोनी, राममन्दिर के पास, टौंक रोड, जयपुर राज0

4–हनुमान पुत्र भूरा जाति ब्राहमण निवासी–मानपुरा टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर (मृतक)

4/1– मन्जू देवी पत्नि स्व0 हनुमान सहाय

4/2– ओम बिहारी पुत्र स्व0 हनुमान सहाय

4/3– अंकित पुत्र स्व0 हनुमान सहाय

4/4– यशवंत पुत्र स्व0 हनुमान सहाय समस्त जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम मानपुरा टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

4/5– अनिता उर्फ बेबी पुत्री स्व0 हनुमान सहाय पत्नि हीरा लाल जाति ब्राहमण निवासी–लोरोली वाया बोरावड तहसील जिला नागौर राज0

5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर

6–उप पंजीयक सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0

उपस्थित अधिवक्तागणः

1– श्री भगवान सहाय शर्मा अपीलांट्स की ओर से

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

2–श्री अशोक उपाध्याय रेस्पोडेन्ट् सख्या 1 व 2 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–08–03–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26–05–2010 सहायक कलक्टर जयपुर उनवानी राज़बिहारी बनाम भँवर व अन्य प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 01 व 02 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 04 के विरूद्ध घोषणा की जाकर खाता सख्या 53 में वर्णित खसरा नम्बर 2/6 हिस्से एवं खाता सख्या 52 में वर्णित खसरा नम्बर में 2/12 हिस्से के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।उक्त वाद के साथ वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि अप्रार्थीगण सख्या 01 लगायत 05 वादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।अप्रार्थी सख्या 05 दौराने वाद सम्पत्ति का राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करे, अप्रार्थीगण सख्या 06 विक्रय–पत्र बन्धक पत्र पंजीबद्ध नहीं करें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस प्रार्थना–पत्र सुनी जाकर दिनांक 26–05–2010 को अप्रार्थी सख्या 01 ता 05 अपीलार्थीगण को पाबंद किया गया कि विवादित सम्पत्ति को रहन व हस्तान्तरण नहीं करे एवं मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त निर्णय दिनांक 26–05–2010 को अप्रार्थी सख्या 01 ता 05 अपीलार्थीगण को पाबंद किया गया कि विवादित सम्पत्ति को रहन व हस्तान्तरण नहीं करें एवं मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।उक्त निर्णय दिनांक 26–05–2010 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय सहायक कलेक्टर जयपुर दिनांक 26–05–2010 विधि विधान पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।विवादग्रस्त भूमि बाबत अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के पिता रामनारायण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ही एक वाद घोषण स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जो दिनांक 10–09–2004 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पिता को खातेदार घोषित किया गया उक्त निर्णय एवं डिक्री पर कोई विचार नहीं कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

–पत्र में अपीलार्थीगण को भी प्रतिबन्धित किये जाने का आदेश पूर्णतया अवैध होने से निरस्तनीय हैं। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2/प्रार्थीगण का वाद हेतुक अप्रार्थी सख्या 04 रेस्पोडेन्ट सख्या 03 के विरूद्ध था,ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को प्रतिबन्धित किया जाना कानून विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अस्थाई निषेधाज्ञा के मूलभूत सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन अपूर्तनीय क्षति तीन बिन्दुओं किस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में है उल्लेख नहीं किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र के निर्णय का आधार प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट सख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को होना मानकर अपीलार्थीगण को पाबंद किया गया जब कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का निष्कर्ष क्या है उक्त विवेचन किये बिना ही अपने न्यायिक विवेकाधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में यथास्थिति कायम रखे जाने सम्बन्धी आदेश वास्तविक अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की परिभाषा में नहीं आता हैं परन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने यथास्थिति कायम रखे जाने संबंधी अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है।अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–05–2010 न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया किअधिनस्थ न्यायालय केसमक्ष रेस्पोडेन्ट सख्या 1व 2 द्वारा दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट के पिता के द्वारा घोषण का वाद दायर किया गया था जो निर्णित होकर रेस्पोडेन्ट के पिता रामनारायण का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित किया जा चुका है। प्रार्थीगण/वादीगण का वाद कारण मात्र अपने पिता रामनारायण के विरूद्ध है जबकि सभी को पाबंद कर दिया गया है।विभाजन के

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

संबंध में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे की सह–खातेदारों को पाबंद किया जा सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों घटकों के बारे में कोई विवेचन नहीं किया गया तथा दस्तावेजों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।यथास्थिति का आदेश विधिक आदेश नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा सजरा खानदान भी गलत प्रस्तुत किया गया है एवं पुत्री को पक्षकार नहीं बनाया गया है अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार की जाने का अनुरोध किया गया। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017 (2) 244, आरआरटी 2013(2) 805, 2010 (1) आरआरटी 149, 1993 आरआरडी 16 एवम आरबीजे 2010 पेज 544 प्रस्तुत किये गये।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि सम्पत्ति का पैतृक होना स्वीकृत तथ्य है।हमारे पिता रामनारायण द्वारा किये गये दावे के संबंध में उल्लेख करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस द्वारा धारा 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था एवं उसकी कोई अपील नहीं की गई हैं।उक्त दावे कानिर्णय सन 2004 में किया गया था जिसके संबंध में विवेचन उक्त प्रार्थना–पत्र के निर्णय में किया जा चुका है अतः इसका कोई प्रभाव प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर नहीं हैं। प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक तीनों घटक हमारे पक्ष में हैं अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है एवं अपील खारिज फरमाई जावे।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवम उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट सख्या 01 लगायत 02 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि को पैतृक सम्पत्ति कथन करते हुए अपने पिता अप्रार्थी सख्या 04 की सम्पत्ति में से पिता के जीवित रहते स्वयं का हिस्सा लेने बाबत दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सख्या 04 एवं अप्रार्थी सख्या 01 ता 03 का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण के कथन को यदि पूर्णतः सत्य होने की अभिकल्पना कर ली जावे तो प्रार्थीगण मात्र अपने पिता अप्रार्थी सख्या 04 के हिस्से की भूमि में से अपने अधिकारों की घोषणा के अधिकारी होगें न कि अप्रार्थी सख्या 01 लगायत 03

के हिस्से में से।इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।जिससे कि सह–खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की जा सकें।अप्रार्थी सख्या 01 लगायत 03 अपीलान्टस अपनी खातेदारी कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग हेतु स्वतंत्र है तथा उन्हें अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता हैं। विशेष रूप से उस परिस्थिति में जबकि वाद में इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में उल्लेख किया गया है कि ''प्रार्थीगण का वाद विवादित भूमि में हिस्सा घोषित करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का हैं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से का निर्धारण दावे में तनकियात कायमी के पश्चात दस्तावेजात एवं साक्ष्य आदि के आधार पर ही होगा। हम न्याय हित में यह उचित समझते है कि तब तक के लिये प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 5 मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा विवादित भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बय, अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया उपर्युक्त विवेचन एवं पारित निष्कर्ष विवेकपूर्ण एवं विधिक नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष अपने पिता अप्रार्थी सख्या 04 के हिस्से में से चाहा गया है।उनके हिस्से का निर्धारण भी अप्रार्थी सख्या 04 की खातेदारी कृषि भूमि में से ही किया जा सकेगा। वाद विभाजन का भी नहीं है अतःअप्रार्थी सख्या 01 लगायत 03 अपीलान्टस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं हैं तथा अपीलाधीन आदेश उनके हक तक निरस्त किये जाने योग्य हैं।अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश में से अप्रार्थी सख्या 01 लगायत 03 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने के अंश को विलोपित किया जाता है अर्थात अप्रार्थी सख्या 01 लगायत 03 की हक तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–05–2010 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

9– निर्णय आज दिनांक 08–03–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर